

स्कूलों में बाल फिल्मों के निःशुल्क स्क्रीनिंग के निर्देश दिशानिर्देश

(एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से)

(केंद्र / राज्य सरकार के प्राधिकारियों और नगर निगमों के लिए अंक संख्या 2, 3, 4, 5 और 8 लागू नहीं हैं)

प्रस्ताव प्रस्तुति –
1. स्कूलों में निः शुल्क एलसीडी शो आयोजित करने के लिए अपने प्रस्ताव एक महीने पहले ही विवरण जैसे स्क्रीनिंग की अंतिम तिथियाँ, स्कूल का नाम, पूरा पता और संपर्क संख्या, छात्रों की संख्या, शो की संख्या के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्ताव के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन नंबर, संगठन की गतिविधियों की रूपरेखा, वार्षिक रिपोर्ट, पिछले 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, आयकर रिटर्न (जहां लागू हो) और बा.चि.स.भा. द्वारा मांग की गई किसी भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें।
3. हमारे मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, आकांक्षी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और न्यासों (ट्रस्टों) का "नीति आयोग" के "एनजीओ दर्पण पोर्टल" पर पंजीकरण और उसकी विशिष्ट संख्या (युनिक नंबर) प्राप्त करना अनिवार्य है।
कृपया ध्यान दें -
4. सहायक दस्तावेजों की (बिंदु संख्या -2 पर अनुरोधित) आवश्यकता को पूरा करनेवाले प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों के समक्ष विचार करने और अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।
5. उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन पर बा.चि.स.भा. और गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) / न्यासों (ट्रस्टों) के साथ करार हस्ताक्षरित होगा।
6. स्क्रीनिंग के एक सप्ताह पूर्व स्क्रीनिंग हेतु बा.चि.स.भा. द्वारा डीवीडी भेजी जाएगी।
7. किसी भी प्रस्ताव / आवेदन / दस्तावेज को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार / रद्द / स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बा.चि.स.भा. सुरक्षित रखता है।
नियम व शर्तें -
8. जरूरत पड़ने पर आप पैन कार्ड, पंजीकरण की प्रति, टैक्स रिटर्न, संविधान की प्रति, वार्षिक लेखा आदि जैसे दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करेंगे।
9. हर शो के लिए न्यूनतम 250 बच्चों उपस्थित होने चाहिए। यदि 200 से कम बाल दर्शक हैं, तो वह शो प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।
10. फिल्में निःशुल्क दिखाई जानी चाहिए।
11. फिल्में एलसीडी प्रोजेक्टर (बड़ी स्क्रीन) के माध्यम से दिखाई जानी चाहिए नाकि टीवी स्क्रीन पर।
12. स्क्रीनिंग की जगह, स्वच्छ, हवादार और सभी संरक्षा एहतियात पूरा करने वाली होनी चाहिए। छात्रों की निगरानी के लिए पर्याप्त स्कूल स्टाफ / स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जाएँ।
13. ईमेल द्वारा स्क्रीनिंग की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
14. स्क्रीनिंग तिथियों में यदि कोई परिवर्तन है, तो बा.चि.स.भा. को ईमेल द्वारा पूर्वसूचित करना अनिवार्य होगा।
15. आपके द्वारा प्रस्तुत स्क्रीनिंग कार्यक्रम के अनुसार शो आयोजित किए जाने चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और बा.चि.स.भा. को कार्यक्रम में बदलाव के बारे में उचित औचित्य के साथ सूचित करने में कोई देरी होने पर प्रतिपूर्ति का कोई भी दावा निष्पादित नहीं किया जाएगा।
16. कृपया ध्यान दें कि शो के लिए पर्याप्त प्रचार दिए जाने की जरूरत है। इसलिए, समय सारणी के साथ कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन की व्यवस्था करें। इसके अलावा, कार्यक्रम के प्रचार एवं व्यापक पहुंच के लिए इलाके के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व / सेलिब्रिटी आमंत्रित कर स्क्रीनिंग के पहले दिन एक छोटा सा उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा सकता है। प्रचार करते हुए कृपया सुनिश्चित करें कि बा.चि.स.भा.को प्रख्याति दी जाए। प्रेस कतरनों और उद्घाटन पर खिंची तस्वीरें कृपया हमें अग्रेषित की जाएँ।
17. एलसीडी स्क्रीनिंग के पूरा होने के बाद प्रतिपूर्ति का दावा आवश्यक दस्तावेजों के साथ, स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावों पर वास्तविक मामले को छोड़कर विचार नहीं किया जाएगा।

18. बा.चि.स.भा. एलसीडी शो आयोजित करने के परिचालन खर्च के लिए प्रति शो रू.1500 / - की प्रतिपूर्ति करेगी। केवल स्क्रीनिंग के सफल समापन के बाद और निम्नलिखित नियम एवं शर्तें पूरी करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी –
- क. स्कूल पत्रशीर्ष (लेटरहेड) पर प्रत्येक फिल्म के शो की स्क्रीनिंग प्रमाणपत्र स्कूल के प्रमुख द्वारा और बीइओ / बीडीओ / डीईओ और शो संचालन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- ख. यदि स्कूल का पत्रशीर्ष (लेटरहेड) नहीं है, तो स्क्रीनिंग प्रमाणपत्र पर हमें स्कूल के प्रधानाध्यापक से लिखित वचन देने की आवश्यकता होगी कि उनका कोई पत्रशीर्ष (लेटरहेड) नहीं है। (स्क्रीनिंग प्रमाणपत्र की नमूना प्रति संलग्न)
- ग. स्कूल का नाम, बोर्ड, फिल्में देखते छात्र, स्क्रीनिंग उपकरण को समाविष्ट करते हुए हरेक एलसीडी स्क्रीनिंग की डिजिटल तस्वीरें भेजनी अनिवार्य है। तस्वीरें (डिजिटल फोटो) डीवीडी पर या ईमेल द्वारा भेजनी होगी।
- घ. विधिवत गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रमाणित मूल बिल के साथ शीर्ष वार समेकित व्यय विवरण।
- ड. ऑनलाइन भुगतान के लिए और गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) / न्यास (ट्रस्ट) के बैंक का विवरण
19. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
20. इस संबंध में बा.चि.स.भा. का निर्णय अंतिम होगा और आप पर बाध्यकारी होगा।
21. भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा अर्थात एनईएफटी / आरटीजीएस